

न्यायालय-प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग- 1 बैतूल, के न्यायालय के अतिरिक्त
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, बैतूल
(पीठासीन न्यायाधीश – प्रदीप के वरकडे)

व्यवहार वाद क्रमांक:-135-ए/2017

संस्थापन दिनांक:- 04 / 07 / 2017

1. शकुबाई पत्नी आनन्दराव कुन्बी, उम्र-60 वर्ष
 2. ललिता पत्नी सुरेश कुन्बी, उम्र-48 वर्ष
 3. चिन्ध्या वल्द उकन्द्या कुन्बी, उम्र-52 वर्ष पेशा मजदूरी
 4. रमेश वल्द उकन्द्या कुन्बी उम्र-50 वर्ष पेशा सर्विस
 5. महादेव वल्द उकन्द्या कुन्बी, उम्र-48 वर्ष पेशा ठेकेदारी
- सभी साकिन नवापुर पोस्ट-तहसील भैंसदेही जिला बैतूल

.....**वादीगण**

ब न म

1. पंचफुला पत्नी उमराव कुन्बी, उम्र-62 वर्ष
2. साकिन टाहली पोस्ट गढ़ा तहसील जिला बैतूल
- म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर बैतूल जिला बैतूल म0प्र0

.....**प्रतिवादीगण**

—: (आ दे श) :-

(आज दिनांक 07 / 11 / 2017 को पारित)

1. इस आदेश द्वारा वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं सहपठित धारा 151 व्य.प्र.सं. आई.ए. नंबर-1 का निराकरण किया जा रहा है।
2. वादी का आवेदन इस प्रकार है कि वाद में खसरा नंबर 151 रकबा 0.073 हेक्टर की भूमि मौजा टाहली पटवारी हल्का नंबर 18 भी विवादित है। उक्त भूमि को आपसी सहमति सेसोनाजी की पत्नी बैनाबाई एवं उनकी तीनों पुत्रियों द्वारा बांट लिया गया था जिसे कि वाद पत्र के साथ सलग्न नक्शे में दर्शाया गया है। खसरा नंबर 151 रकबा 0.073 हेक्टर भूमि पर पक्षकारों के आवासीय मकान भी निर्मित है। दिनांक 13.06.17 को प्रतिवादी क्रमांक 1 ने स्वयं ने एवं उसके पुत्रगणों ने वादी क्रमांक 1 के हिस्से की संपत्ति अर्थात् खसरा नंबर 151 रकबा 0.073 हेक्टर उत्तर दिशा की ओर आने जाने के मार्ग पर ईट डलवाई। इस प्रकार हिस्से के भाग के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास प्रतिवादी द्वारा किया गया। प्रतिवादी क्रमांक 1 को मार्ग पर ईट डलवाने का कोई हक अधिकार नहीं है एवं वाद के निराकरण के पूर्व किसी भी भाग पर निर्माण करने का भी अधिकार नहीं है परंतु प्रतिवादी क्रमांक 1 स्वयं एवं अपने पुत्रों के माध्यम से कानून को हाथ में लेकर वादीगणों को उनके उपयोग उपभोग के भाग में बाधा उत्पन्न करने तथा संपत्ति के स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु प्रयासरत् है। प्रतिवादी द्वारा रास्ते में अवरोध उत्पन्न करने एवं निर्माण करने से वादीगण को अपरिमित क्षति की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। प्रथम दृष्ट्या प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन वादीगणों के पक्ष में है। अतः वादीगणों द्वारा निवेदन किया गया है कि वादीगणों

के पक्ष में एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 के विरुद्ध वाद के निराकरण तक इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा प्रसारित किया जावे कि प्रतिवादी क्रमांक 1 स्वयं या अपने पुत्रों या अन्य के माध्यम से खसरा नंबर 151 रकबा 0.073 हेक्टर भूमि में वादीगणों के अधिपत्य में दखलंजी न करें एवं किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य करने का प्रयास न करें तथा मार्ग में अवरोध उत्पन्न न करें। प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा ईंटे नहीं हटाई जाती है तो वादी को ईंटे मार्ग पर से हटाने हेतु आदेशित किया जावे।

3. प्रकरण में प्रतिवादी क्र. 2 प्रारंभ से ही उपस्थित नहीं हुए है इसलिए दिनांक 20.07.17 को उसके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है।

4. प्रतिवादी क्र. 1 ने वादी के आवेदन पत्र के सभी अभिवचनों को अस्वीकार करते हुए उनके जवाब में व्यक्त किया है कि प्रकरण में चाही गई अनुतोष प्राप्ति का अधिकार वादीगण प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं वाद/आवेदन में ऐसा कोई तथ्य नहीं है कि वादीगण सफल हो। प्रतिवादी क्रमांक 1 अस्थाई निषेधाज्ञा के निराकरण हेतु अपने द्वारा प्रस्तुत लिखित कथन इस जवाब के साथ साभार ग्रहण करती है। वाद में खसरा नंबर 151 से संबंधित दस्तावेज से यह प्रमाणित नहीं होती है कि वह किस मद की भूमि है और उस पर बटवारे अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण काबिज है जो किसी भी प्रकार से एक दूसरे को हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। मौजा टाहली प.ह.नं. 18 में स्पष्ट खसरे का उल्लेख नहीं है। न्यायालय को भ्रमित करने के लिये प.ह.नं. दर्शाया गया है। खसरा नंबर स्पष्ट नहीं है। आपसी सहमति से सोनाजी की पत्नी बैनाबाई एवं उसकी पुत्रियों के बीच में किस बंटवारे के तहत बंटवारा किया गया यह प्रकरण में स्पष्ट नहीं है। प्रकरण में प्रस्तुत नजरी नक्शा में निर्माण का कोई हवाला नहीं है किस पक्षकार का मकान निर्मित है यह भी दस्तावेजों के अभाव में स्पष्ट नहीं है। प्रतिवादी क्रमांक 1 के पुत्रों ने अपने हिस्से की जमीन पर ईंट डलवाई हैं उसे बांधा नहीं कहा जा सकता है क्योंकि वह प्रतिवादी क्रमांक 1 के हिस्से में है। डलवाई गई ईंट पिछले तीन वर्षों से अधिक समय से रखी गई है बिना वजह कारण उत्पन्न किया जा रहा है। वहां पर किस चीज का स्वरूप परिवर्तन होगा यह भी स्पष्ट नहीं है। अगर रास्ते पर अवरोध उत्पन्न हुआ है तो उसकी जानकारी नहीं है। वादीगण को किस प्रकार की क्षति होगी दस्तावेज के अभाव में यह भी स्पष्ट नहीं है। सुविधा एवं सन्तुलन के संबंध में ऐसा कोई पक्ष या दस्तावेज प्रतीत नहीं होता कि वादीगण के पक्ष में है जबकि प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा वादीगण के संतुलन सुविधा में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं है तब प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में प्रमाणित नहीं है। अतः वादीगण का आदेश 39 नियम 1 एवं 2 सहपठित धारा 151 व्य.प्र.सं. का आवेदन सह भूमि स्वामी के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान नहीं करने संबंधी सुस्थापित विधि विद्वमान होने के कारण सव्यय निरस्त किया जावे।

5. आवेदन के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय बिन्दु है :-

- 1- क्या प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में है ?
- 2- क्या सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में है ?
- 3- क्या अस्थायी निषेधाज्ञा वादी के पक्ष में जारी न होने से उसे कोई अपूर्णीय क्षति होना संभावित है ?

: : सकारण निष्कर्ष : :

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1

6. उभयपक्षों की ओर से परस्पर विरोधीभाषी एवं खंडनकारी शपथपत्र प्रस्तुत किए है मात्र शपथ पत्रों के आधार पर कोई निष्कर्ष निकाला जाना संभव नहीं है।

7. वादी की ओर से वर्ष 2014-15 का पंचशाला खसरा की सत्यप्रतिलिपि, दिनांक 03.10.16 को नायाब तहसीलदार बैतूल का नामांतरण क्रमांक 18 दिनांक 16.08.16 की फोटोकापी दिनांक 07.10.16 की इस्तेहार, दिनांक 11.05.04 पंचनामा तहसीलदार दिनांक 09.05.17 की फोटोकापी, धारा-44 म0प्र0 राजस्व संहिता की अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व न्यायालय में दिया गया आवेदन पत्र, दिनांक 30.11.16 की फोटोप्रति, दिनांक 13.02.17 को अनुविभागीय अधिकारी बैतूल की आदेश पत्रिका, दिनांक 29.11.99 की वसीयत की फोटो कापी, राशन कार्ड की फोटोकापी, खसरा पंचशाला 2015-16 की फोटोप्रति, नकल आवेदन पत्र दिनांक 09.11.16 की फोटोप्रति, तहसीलदार को दिनांक 01.10.2000 को दिया गया आवेदन की फोटोकापी, प्रोसिडिंग बुक दिनांक 02.07.2000 की फोटोकापी, फर्दबटान सूची 1999-2000 की फोटोकापी, राजस्व पंजी दिनांक 16.02.17 की फोटोकापी पेश की गई।

8. वादिनी द्वारा सर्वप्रथम यह दर्शित नहीं किया है कि मौके पर कितनी भूमि का रास्ते के रूप में उसके द्वारा उपयोग किया जा रहा है। वादिनी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शे में यह दर्शित होता है कि उक्त रास्ते की कितने भाग पर प्रतिवादीगण द्वारा ईंट रखी गई है। जबकि वादी द्वारा दर्शित नक्शे में ईंट रखने के उपरांत मुख्य मार्ग पर रिक्त भूखण्ड भी दर्शित है जो कितना है और कितना होना चाहिए। वादी ने प्रथम दृष्टया दर्शित नहीं किया है। वादग्रस्त खसरा क्रमांक 151 रकबा 0.073 हेक्टर भूमि पर संयुक्त रूप से वादिनी क्रमांक 1 एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 का नाम संयुक्त रूप से दर्ज है। वादिनी के अधिपत्य में प्रतिवादीगण द्वारा क्या हस्तक्षेप कर रहा है प्रथम दृष्टया मौखिक अभिवचन व दस्तावेजी साक्ष्य से भी वादिनी की ओर से स्पष्ट किया जाना दर्शित नहीं पाया जा सकता।

9. वादिनी की ओर से माननीय उच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत जाला विरुद्ध मंगू बाई सी.रेव.नंबर 1142 एम.पी डब्लू.एन 33 प्रस्तुत किया। हस्तगत प्रकरण में वादिनी की ओर से जो विवाद स्थल के फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किये गए हैं। उसमें वादग्रस्त स्थल के पास में विवादित रास्ते पर ईंट रखी गई है उपरांत पर्याप्त रास्ता है जिसपर बैल गाड़ी बैठे व रखे होकर रास्ते के लिए भूमि दर्शित होता है। हस्तगत प्रकरण में प्रकरण के अनुसार खसरा नंबर 151 संयुक्त रूप से सोनाजी, जयवंत, पंचपुला, सक्कूबाई का नाम भू स्वामी के तौर पर दर्ज है। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि जहां पर संयुक्त रूप से भूमि स्वामी के रूप में नाम दर्ज होने पर सहस्वामी को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं किया जा सकता। हस्तगत प्रकरण में वादिनी एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 का संयुक्त रूप से नाम दर्ज होने के कारण इसका लाभ वादी को नहीं दिया जा सकता। ऐसी स्थिति में अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 1 से निषेधित किया जाना विधि सम्मत नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला वादीगण के पक्ष में होना नहीं कहा जा सकता है।

विचारणीय प्रश्न क्र0 2 व 3 का सकारण निष्कर्ष

10. जहां तक प्रथम दृष्टया मामला वादीगण के पक्ष में नहीं पाया जाता। ऐसी दशा में वादीगण के पक्ष में सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति भी नहीं पाया जाता। फलतः विचारणीय बिन्दु क्रमांक 2 और 3 भी वादी के पक्ष में प्रथम दृष्टया नहीं पाया जाता।

11. उपरोक्त विवेचना अनुसार तीनों विचारणीय बिन्दुओं वादीगण/आवेदकगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया नहीं पाया गये हैं ऐसी दशा में वादीगण/आवेदकगण का

आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा-151 व्य.प्र.सं. (आई ए नंबर 1) दिनांक 19.06.17 निरस्त किया जाकर निराकृत किया गया।

12. इस आदेश या इस आदेश में किसी निष्कर्ष का कोई प्रभाव प्रकरण के गुण-दोषों पर नहीं होगा।

आदेश हस्ताक्षरित एवं,
पारित किया गया।

मेरे आलेख पर टंकित
किया गया।

(प्रदीप के. वरकडे)

प्रथम अति.व्यवहार न्याया0वर्ग-1,
बैतूल

(प्रदीप के. वरकडे)

प्रथम अति. व्यवहार न्याया0वर्ग-1,
बैतूल